



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052023-245661  
CG-DL-E-04052023-245661

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1964]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945

No. 1964]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/ VAISAKHA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

का.आ. 2052(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इस में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 169(अ) तारीख 10.01.2023 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में 561अ के 0.000 कि.मी. से 38.775 कि.मी. तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "16.07.2022 "को" फ्री प्रेस जर्नल" और "द. लोकमत (मराठी) "दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उनपर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 561अ के 0.000 कि.मी. से 38.775 कि.मी. तक (अहमदनगर-करमाला/टेंभुर्णी (एन.के.टी.) सड़क सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: अहमदनगर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: अहमदनगर					
गांव का नाम: वाळुंज					
1	375	निजी(कृषी)	कृषी	0.0201	ज्ञानदेव भाऊसाहेब काळे प्रियांका दौलत कवडे रुद्र ज्ञानदेव काळे अपाक पिता ज्ञानदेव शरद गुलाब खोमणे प्रमोद अशोक पांढरे विक्रम नारायण वाघस्कर शिवराज ज्ञानदेव काळे संतोष भानुदास वाघस्कर (३७५/२)
			कुल	0.0201	

[फा. सं. NHAI/PIU/SLP/LA/17/3D]

अभय जैन, उप सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2023

**S.O. 2052(E).**—whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 169 (E) dated 10th January, 2023, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii) issued under sub-section(1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), (hereinafter referred to as the said Act),the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No.561A, on the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 38/775 (Ahmednagar-Karmala-Tembhurni (NKT) Road Section) in the District of Ahmednagar in the State of Maharashtra.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Free Press Journal (English) & Lokmat (Marathi) both dtd 16.07.2022, under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 38/775 (Ahmednagar-Karmala-Tembhurni (NKT) Road Section) of NH-561A in the district Ahmednagar in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA		District: AHMEDNAGAR			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Ahmednagar</b>					
<b>Village: Walunj</b>					
1	375	Private(Agriculture)	Agriculture	0.0201	Dnyandev Bhausahab Kale Priyanka Daulat Kawde Rudra Dnyandev Kale APK Father Dnyandev Sharad Gulab Khomne Pramod Ashok Pandhre Vikram Narayan Waghaskar Shivraj Dnyandev Kale Santosh Bhanudash Waghaskar 375/2
<b>TOTAL</b>				<b>0.0201</b>	

[F. No. NHAI/PIU/SLP/LA/17/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.